न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर

राजस्व वाद /2021 (2021 /)

1 गुदड़ उर्फ गुदड़मल जाति बलाई निवासी बघेरा तहसील केकड़ी जिला अजमेर

—प्रार्थीगण

◆ बनाम ◆

1- लक्ष्मण पुत्र पृथ्वी सिंह राजपूत निवासी थली मोड बघेरा तहसील केकड़ी जिला अजमेर, राज

2- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर

—— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 क राज.काश्तकारी अधिनियम

—:: आदेश ::—

दिनांक 16.12.2021

पत्रावली प्रशासन गांवों के संग 2021 केम्प बघेरा केम्प के दौरान प्रस्तुत की गई । संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बघेरा की जमाबन्दी सं. 2073–76 के खाता स. 271–247 के खाता स. 2339/5381 रकबा 0.49 है. किस्म बारानी दर्ज रिकॉर्ड खातेदार अंकन है। एंव जमाबन्दी स. 2073–76 के खाता स. 1989–1 के खसरा नम्बर 2330 रकबा 0.35 है. किस्म गै.मु. आ. ग्राम पंचायत आबादी दर्ज रिकॉर्ड है एंव खाता सं. नया–पुराना 1–1 खसरा नम्बर 2331 रकबा 0.81 है. किस्म बारानी 3 सिवाचयक दर्ज है। वाद वर्णित आराजीयात में आने जाने हेतु मोके पर कोई अन्य रास्ता दर्शित नहीं है। प्रार्थी की उक्त वाद वर्णित आराजीयात में आने जाने हेत खसरा नम्बर 2330 व 2331 में से ही उत्तरी दिशा की तरफ टोडारोड की तरफ से आते जाते है। उक्त रास्ते को ही उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। उक्त रास्ते के अलावा आने जाने के लिये कोई अन्य रास्ता नहीं है। अपनी आने हेतु 30फीट रास्ते की आवश्कता है। अप्रार्थी स. 1 ने नाजायज कब्जा कर खसरा नम्बर 2330मे अवैध शौचालय का निर्माण कर रखा है। इसलिये उक्त अतिक्रमण को हटवाया जाकर प्रार्थी को रास्ता दिलाया जावें।

प्रकरण श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थी स. 1 द्वारा नोटिस का जवाब केम्प में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के खेत में जाने के लिये वर्तमान में रास्ता चालू है एंव दुसरा रास्ता पीछे से गोपाल खारोल के मकान के पास से रास्ता चालू है। अतः महोदय जहां से उसने रास्ता चाहा है उस सस्थान पर मेरे परिवार के साथ मकान बनाकर रह रहा हुं तथा शोचालय का निर्माण कर रखा है यह भूमि आबादी भूमि में दर्ज है। अतः महोदय इसके द्वारा दायर वाद राजनैतिक द्वेवशता के कारण किया गया है। जो अनुचित है।

पेरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट पत्र कंमाक /राजस्व/2021/383 दिनांक 26.11.21 से प्रस्तुत की गई । प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार बताया गया कि ग्राम बघेरा के खसरा नम्बर 2331/5381 रकबा 0.49 है. में आने जाने हेतु मोके पर कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थी के खेत के पास आबादी खसरा नम्बर 2330, 2326/5379, दर्ज है में से प्रार्थी रास्ता चाहता है। इस खसरा नम्बर 2330 में लक्ष्मण सि[illegible]त कब्जा है। जिसे पूर्व में ही कई बार समझाईश की गई परन्तु रास्ता [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.14 11:46:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

अतः प्रार्थी ने 251(1)के तहत दावा किया है। प्रस्तावित रास्ते की नक्शें में लाल स्याही से दर्शाया गया है जिसका मौके पर लालस्याही से दर्शाया गया है जिसमें मौके पर एक पानी का बोरिंग तथा एक शोचालय बना है तथा सुखे पत्थरों की दिवार भी बनी है। प्रार्थी के खेत में जाने के लिये दुसरा रास्ता न होने खेत में फसल नहीं है पडत ही है। प्रार्थी को रास्ते की नितान्त आवश्यकता है। प्रार्थी डी.एल.सी.दर से राशि जमा कराने को तैयार है। सरपंच ग्राम पंचायत बघेरा ने खसरा नम्बर 2330 में रास्ता हेतु सहमति के हस्ताक्षर किये है। रास्ता हेतु खसरा नम्बर 2326/5379 रकबा 0.51है. में से 16मीटर लम्बा एंव 3 मीटर चौडा कुल 144 मीटर खसरा नम्बर 2330 में से 48 मीटर लम्बा तथा 4.5 मीटर चौडा कुल 216 मीटर तथा खसरा नम्बर 2331 में से 48 मीटर लम्बा एंव 4.5 मीटर चौडा कुल 576 वर्गमीटर जिसकी डी.एल.सी. दर 4,50846/– की दुगनी राशि 51,932.16 अक्षरे इक्यावन हजार नौ सौ बत्तीस रूपये बनती है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया । पक्षकारान को सुना गया । प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराया तथा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को खारिज करने की प्रार्थना की। पेरोकार सरकार ने अपनी बहस में जवाब के तथ्यों को दोहराया । प्रश्नगत आराजी अप्रार्थी की खातेदारी/पटटे की नहीं है। केवल मात्र ग्राम पंचायत की आबादी है। जिस पर वह भी अतिकमी की हैसियत से काबिज है। तथ उसके द्वारा प्रार्थी का रास्ता अवरूद्व कर देने से प्रार्थी का खेत पडत पडा हुआ है। प्रार्थी की आपत्ति सारहीन होने से खारिज की जाती है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकडी ग्राम बघेरा के खसरा नम्बर 2326/5379 रकबा 0.51है. में से 16मीटर लम्बा एंव 3 मीटर चौडा कुल 144 मीटर खसरा नम्बर 2330 में से 48 मीटर लम्बा तथा 4.5 मीटर चौडा कुल 216 मीटर तथा खसरा नम्बर 2331 में से 48 मीटर लम्बा एंव 4.5 मीटर चौडा कुल 576 वर्गमीटर जिसकी डी.एल.सी. दर 4,50846/– की दुगनी राशि 51,932.16 अक्षरे इक्यावन हजार नौ सौ बत्तीस रूपये प्रार्थी से प्राप्त कर प्रभावित खातेदारान जिनकी भूमि रास्तें के रूप में प्रयुक्त हो रही है को भुगतान करें एंव राजस्व रिकॉर्ड एंव नक्शा ट्रेस मे उक्त रास्ते का अंकन सार्वजनिक रास्ते के रूप में दर्ज करें। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करें।

आदेश मजमें आम प्रशासन गावो के संग अभियान शिविर स्थल बघेरा में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
शिविर प्रभारी केकड़ी,

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.14 11:46:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner